



कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT NAVEEN COLLEGE JANAKPUR

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, (छ0ग0)

DISTRICT- MANENDRAGARH-CHIRMIRI-BHARATPUR, (C.G.)

(NAAC -ACCREDITED)

संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध

Website-janakpurcollege.ac.in Mo. No. 9415248896 Email- gndc.jnk2008@gmail.com

क्रं./168/स्था./2025

जनकपुर, दिनांक 21.11.2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर के सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदक दिनांक 02/12/2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर
जिला-एम.सी.बी.(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT NAVEEN COLLEGE JANAKPUR

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, (छ0ग0)

DISTRICT- MANENDRAGARH-CHIRMIRI-BHARATPUR, (C.G.)

(NAAC -ACCREDITED)

संत गहिरांगुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध

Website-janakpurcollege.ac.in Mo. No. 9415248896 Email- gndc.jnk2008@gmail.com



क्रं./ /स्था./ 2025

जनकपुर, दिनांक 21.11.2025

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि./राज.स्था./2025 नवा रायपुर दिनांक 23/07/2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र एफ 3-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर में समाजशास्त्र विषय में कार्यरत रही अतिथि व्याख्याता के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त 01 पद हेतु अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 02/12/2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

4. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ाधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
5. आयु सीमा :-अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

6. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
विषय/पदों का विवरण :-

क्र.	अध्ययनशाला एवं विषय	रिक्त पद एवं संख्या			अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/ अतिथि ग्रंथपाल सहायक के कुल रिक्त पद
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	
1	2	3	4	5	6
1	समाजशास्त्र	00	00	01	01
	योग:-	00	00	01	01

टीप:-संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- आवेदक के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी. 12वी. स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम, फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रामाण-पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 02/12/2025 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव होगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 05/12/2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। महाविद्यालय के वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 08/12/2025 तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 10/12/2025 को किया जावेगा। जिसका प्रदर्शन महाविद्यालय की वेबसाइट Website-janakpurcollege.ac.in एवं सूचना पटल में किया जायेगा।

7. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमिति करण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय/मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षक सहायक
(अ) 40-50 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- 41600/- प्रतिमाह अधिकतम	1200/- 30000/- प्रतिमाह अधिकतम
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- 50000/- प्रतिमाह अधिकतम	1400/- 35000/- प्रतिमाह अधिकतम
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ाधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ाधिकारी सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/- 40000/- प्रतिमाह अधिकतम	1200/- 30000/- प्रतिमाह अधिकतम

11. आवेदक निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर एवं आवेदित विषयपद..... आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे

लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुस्थित रहता है तो उसकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा-गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त नहीं होंगे।

sd
प्राचार्य

शासकीय नवीन प्राचार्य जनकपुर
जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

पृ.क्र./169/राज.स्था./कम्प्यू. शि./2025
प्रतिलिपि :-

जनकपुर, दिनांक 21/11/2025

- ✓ 1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीवगांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)
3. प्राचार्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय मनेन्दगढ़ जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)
4. कार्यालय नस्ती।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ (छ.ग.)
6. सम्पादक लोकप्रिय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

3/11/25
प्राचार्य
शासकीय नवीन प्राचार्य जनकपुर
जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)